कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
(व्यवस्थापन"घ"वर्ग)
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून ।

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-cepwdua@rediff.com

पत्रांकः–291/61 व्यघ–सा0/13 दिनांकः–02/05/2013

"कार्यालय ज्ञाप"

शासनादेश सं0 2248/III(1)/07–75(अधि0)/07 दिनांक 14.11.07 एवं शासनादेश सं0 1346/III(1)/12–75(अधि0)/07 दिनांक 04.12.2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 4738/61 व्यघ–सा0/12 दिनांक 22.01.2013 द्वारा विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसके क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रकिया के अनुसार चयन समिति को प्रस्तुत किये जाने एवं समिति की संस्तुति उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञाप सं0 79/61 व्यघ–सा0/13 दिनांक 05.03.13 के द्वारा अल्पकालिक तैनाती की गयी है। जिसमें योगदान किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.03.13 थी। अन्तिम तिथि तक योगदान न करने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थान पर तैयार की गयी मैरिट सूची के आधार पर ज्येष्ठता के आधार पर संलग्नक में अंकित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित खण्डीय कार्यालयों में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद पर संविदा के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन अल्पकालिक तैनाती किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

1. संविदा पर तैनात कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को प्रतिमाह रू0 15,000.00 (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) नियत मानदेय प्रदान किया जाएगा।
2. संविदा पर तैनात कार्मिक को निर्धारित एकमुश्त नियत मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिकों की भांति अनुमन्य सामान्य यात्रा भत्ता देय होगा।
3. योगदान करते समय संलग्न अनुबन्ध पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर में पूर्ण कर प्रस्तुत करना होगा।
4. संविदा पर तैनाती पूर्णतः अल्पकालिक एवं अधिकतम एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो तक के लिये होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा और तैनात कार्मिक तत्समय् धारित पद से स्वतः हटा हुआ समझा जायेगा।
5. संविदा पर तैनात कार्मिक को 14 दिनों के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा वेतन देय नही होगा।

संलग्नक प्रपत्र में अंकित संविदा के आधार पर तैनात कार्मिक को योगदान करते समय निम्न प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करने होगें। अधिशासी अभियन्ता मूल अभिलेखों से प्रमाण पत्रों को सत्यापित कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है, तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय के आदेश प्राप्त होने तक योगदान आख्या स्वीकार नही करेंगे।

1. हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
2. सिविल डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका की सत्यापित प्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
4. अनुबन्ध पत्र मूल में।
5. स्वस्थता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से प्रदत्त मूल में।
6. क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
7. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम् चरित्र प्रमाण पत्र।

उपरोक्त कार्मिक को तैनाती के कार्यालय में दिनांक 20/05/2013 तक योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में योगदान नही किया जाता है, तो उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

(के0सी0 उप्रेती)
मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, ग0 / कु0 क्षेत्र / ए0डी0बी0 / रा0मा0 / पी0एम0जी0एस0वाई0, पौडी / अल्मोडा / देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल / कुमायूं, पौडी / नैनीताल।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी...।
6. अधीक्षण अभियन्ता,....................वां वृत्त, लो0नि0वि0, ...।
7. अधिशासी अभियन्ता,.. खण्ड, लो0नि0वि0, ...।
8. सम्बन्धित कार्मिक।

संलग्नः–पत्रानुसार।

07/05/2012

मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

संविदा के आधार पर चयनित कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत की तैनाती की सूची							
क0सं0	मैरिट सूची का ज्येष्ठता कमांक	नाम/पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	जाति	श्रेणी-जिसके अर्न्तगत चयन हुआ है	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	कु0 रीना देवी पुत्री श्री राजेश कुमार	ग्राम व पोस्ट गढमीरपुर, ब्लाक बहादराबाद जिला– हरिद्वार	06.06.89	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ

07/05/2012
(के0सी0 उप्रेती)
मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय)